<table>
<thead>
<tr>
<th>सं.क्र.</th>
<th>अध्याय क्र.</th>
<th>विषय</th>
<th>पृष्ठ संख्या</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>अध्याय-1</td>
<td>प्रारंभिक</td>
<td>1–2</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>अध्याय-2</td>
<td>प्रशासनिक संरचना</td>
<td>3–9</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>अध्याय-3</td>
<td>आदिम जाति मंत्रणा परिषद</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>अध्याय-4</td>
<td>संस्क्रानात्मक उपाय एवं विशेष व्यवस्थापि</td>
<td>11–21</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>4.1 अत्याचर निवारण</td>
<td>11–13</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>4.2 सहायता महत्वपूर्ण</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>4.3 आदिवासियों की भूमि के हस्तांतरण पर लगाई गई रोक</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>4.4 आवकारी नीति</td>
<td>14–15</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>4.5 लघु वनीपज</td>
<td>15–16</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>4.6 संवैधानिक विशिष्ट सहायता के अंतर्गत उपाय</td>
<td>16–18</td>
</tr>
<tr>
<td>(v)</td>
<td>गणना संशोधन विकास कार्यक्रम</td>
<td>1-68</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>----------------------------</td>
<td>------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6.10</td>
<td>राज्य-शिक्षा केन्द्र एवं लोक शिक्षण</td>
<td>51</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6.10</td>
<td>आधिकारिक विकास</td>
<td>52-58</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6.20</td>
<td>आदिवासी जाति अनुसंधान एवं विकास संस्था</td>
<td>58-60</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6.21</td>
<td>तकनीकी शिक्षा</td>
<td>61</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6.22</td>
<td>उच्चशिक्षा</td>
<td>61-62</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6.23</td>
<td>प्रशिक्षण</td>
<td>62-63</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन पर राज्यपाल प्रतिवेदन

वर्ष 2011—12

भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची की कड़िया 1—3 में निहित प्रावधानों के
अनुसार मध्यप्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन पर राज्यपाल का प्रतिवेदन वर्ष
2011—12

अध्याय—1

प्रारंभिक

मध्यप्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3.08 लाख वर्ग किमी. है। जिसमें 0.68 लाख वर्ग
किमी. (22.6%) अनुसूचित क्षेत्र है। जो राज्य के पूर्व भाग में मान्य है।
प्रदेश में घोषित अनुसूचित क्षेत्र एवं आदिवासी उपयोजना क्षेत्र की जानकारी नि:―नुसार है।

<table>
<thead>
<tr>
<th>मध्यप्रदेश</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल</td>
<td>3.08 लाख वर्ग किलोमीटर</td>
</tr>
<tr>
<td>2. प्रदेश की कुल जनसंख्या</td>
<td>603.48 लाख</td>
</tr>
<tr>
<td>3. प्रदेश की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या</td>
<td>122.33 लाख</td>
</tr>
<tr>
<td>4. प्रदेश में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत</td>
<td>20.27 प्रतिशत</td>
</tr>
</tbody>
</table>

ब= अनुसूचित क्षेत्र

| 1. प्रदेश में घोषित अनुसूचित क्षेत्र | 0.68 लाख वर्ग कि.मी. |
| 2. अनुसूचित क्षेत्र का प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र से प्रतिशत | 22.07 प्रतिशत |
| 3. अनुसूचित क्षेत्र की कुल जनसंख्या ' | 112.84 लाख |
| 4. अनुसूचित क्षेत्र की कुल जनसंख्या का प्रदेश की कुल जनसंख्या से प्रतिशत | 18.69 प्रतिशत |
अध्याय-2
प्रशासनिक संरचना

मध्यप्रदेश में घोषित अनुसूचित क्षेत्र एवं आदिवासी उपयोगिता क्षेत्रांतर्गत, आदिवासी उपयोगिता की अवधारणा के तहत कार्यक्रमों के क्रिया चलाना तथा अनुसूचित जाति से संबंधित विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के अनुश्रवण/मूल्यांकन का उत्तरदायित्व आदिवासी जाति कल्याण विभाग नोडल विभाग के रूप में करता है। शासन के विभिन्न विभागों में उपयोगिता क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले अनुसूचित क्षेत्र के लिये पृथक से अपना पदस्थ नहीं किया गया है, वरन् विभिन्न विभागों द्वारा विभागीय योजनाओं के साथ-साथ आदिवासी उपयोगिता अन्तर्गत सात्य आयोजना नद से संचालित योजनाओं के अनुश्रवण/मूल्यांकन का कार्य संचालित किया जाता है।

आदिवासी जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की प्रशासनिक संरचना के अन्तर्गत आदिवासी उपयोगिता के अंतर्गत फंक्शन किया जाता है।
आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में सच्च शासन द्वारा संचालित योजनाओं के लिए धन राष्ट्रीय की स्थापना करना तथा विभिन्न विभागों के बीच आदिवासियों की विशेष आवश्यकताओं से संवर्धित संकल्पना योजनाओं के लिए धन राष्ट्रीय का उत्तम कला आदिवासी लाभ उन्नयन
योजनाओं की राशि निर्मित किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाता है कि इन योजनाओं का लाग सीमा अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं आदिवासी उपयोजना क्षेत्र को दी पहुंचें। आदिवासी उपयोजना क्षेत्र को शस्त्र किसी भी रूप के अन्य मांग संपन्न यथा सामान्य जोजन, अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत स्थानांतरित नहीं की जा सकती है, तथा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के बाहर राशि का व्यय करना वर्जित है। वजन प्राक्याय अनुसार विभिन्न विकास विभागों को राशि आपूर्ति की गई एवं राशि के पुनर्नियोजन का कार्य भी संपादित किया गया है।

2.4 संचालक, विशेष पिछड़ी जनजाति समूह विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास कार्यों का समग्र प्रभावी क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रदेश स्तर पर संचालक विशेष पिछड़ी जनजाति का
जबलपुर, शेवा एवं इंदौर में आदिम जाति अनुसंधान केन्द्र संचालित हैं। ये केन्द्र आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्था की सांस्कृतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। इनमें पदार्थ अनुसंधान अधिकारी को स्वतंत्र रूप से आहरण एवं सहितरण के अधिकार दिये गये हैं।

2.7 जिला स्तर

2.7.1 मुख्य कार्यालय अधिकारी जिला पंचायत एवं अपर आयुक्त

त्रिपुरी पंचायती राज व्यवस्था अन्तर्गत आदिवासी जनसंख्या बाहुल्य जिलों में विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु मुख्य कार्यालय अधिकारी,जिला पंचायत को आदिम जाति कल्याण विभाग का पदेन अपर आयुक्त घोषित कर प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकार प्रदान किए गये हैं।

विभागीय जिला स्तरीय कार्यालय

विभागीय प्रशासकीय नियंत्रण एवं योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर आदिवासी जनसंख्या बाहुल्य जिलों में सहायक आयुक्त तथा अनुसूचित जाति बाहुल्य जिलों में जिला संस्थान कार्यरत हैं।

2.7.2 सहायक आयुक्त

मध्य प्रदेश के 26 जिला कार्यालयों (जबलपुर, मण्डल, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, निमी, बलापाट, लीटी, शहदोल, अनंपुर, सतलाम, जाबुआ, धार, खण्डवा, खरगोन, बड़वानी, कोसाँपाट, शैवल, नदीपुर, लगगिया एवं मिलानी) अधिकारी अधिकार भोजन, स्वास्थ्य एवं जनजीवन के
विकास खण्ड स्तर
2.10.1 मुख्य कार्यक्षेत्र अभिकरण (सालांत राजस्थान)

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रमांक</th>
<th>मुख्यालय</th>
<th>कार्यक्षेत्र (जिले)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>शिवपुरी</td>
<td>शिवपुरी/विशाखापट्टनम जिला</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>गुजरात</td>
<td>गुजरात/अशोकनगर जिला</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>ग्वालियर</td>
<td>ग्वालियर/दतिया जिला</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>जयपुर</td>
<td>जयपुर/अवधार जिला</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>मथुरा</td>
<td>मथुरा जिला</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>लखनऊ</td>
<td>लखनऊ जिला</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>उत्तर प्रदेश</td>
<td>उत्तर प्रदेश जिला</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>अजमेर</td>
<td>अजमेर जिला</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>जोधपुर</td>
<td>जोधपुर जिला</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>जयपुर</td>
<td>जयपुर जिला</td>
</tr>
</tbody>
</table>

उत्तरपुर, रेवास
2.11.1 मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम

मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक उत्थान हेतु परिवार मूलक आर्थिक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके तहत आदिवासियों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

2.11.2 मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद् (मएपोरेट)

अनुसूचित जनजातियों के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को स्वरोजगार हेतु विभिन्न व्यवसायों में अल्पवार्डी प्रशिक्षण का आयोजन कर प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद् के अन्तर्गत रोजगार सूचना केन्द्र की स्थापना कर अनुसूचित जनजाति को शिक्षित व्यवसायों का निरीक्षण अनुसंधान आरंभ करने के लिए तैयारी की गई है।
2.12 गःधर्मशेष राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग

विशेष का अंतर्गत गःधर्मशेष राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 1995 के 3 मास पर जनजाति आयोग का गठन किया गया है।

पात्रत-9(1) के अंतर्गत आयोग का यह कृत्त होगा कि यह —

(6) अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को संबंधित के अधीन तथा तत्कालीन प्रशिक्षण के अन्य विभाग के अधीन दिये गये संबंध के लिये दिनाप्रदी आयोग के रूप में कार्य करे।

(7) किसी विशिष्ट जनजातियों या जनजाति समुदायों या ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों के संग्रहों या उनमें से शृंखला (अनुसूचित जनजातियों) आदेश, 1950 में समिलित करने के लिये कदम उठाने के लिये राज्य सरकार को सिफारिश करना।

(8) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिये बने कार्यक्रमों के समूचा तथा समय कार्यन्यमय की निम्नान्य के तथा राज्य सरकार अथवा अन्य निकाय या प्राधिकरण के कार्यक्रमों के संबंध में, जो ऐसे कार्यक्रमों के लिये जिम्मेदार हैं, सुनाम हेतु सुझाव दे।

(9) लोक सेवाओं तथा शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिये अनुसूचित जनजातियों के लिये आदेश के संबंध में सलाह दे।

(10) ऐसे अन्य कृत्त का पालन करे जो राज्य सरकार द्वारा ली जाए।

(11) आयोग की सलाह साधारणत: राज्य सरकार पर आवश्यक होनी तथ्यापि जहाँ सरकार सलाह को विचार नहीं करती वहाँ वह उसके लिये कारण अनुसूचित करेगी।

10. आयोग की धारा 9 की उप धारा (1) के अंतर्गत अपने कृत्त का पालन करते समय, आर्थिक विश्लेषण तथा निम्नान्य विषयों के बारे में किसी वाद का विवादण करने वाले किसी विशिष्ट व्यक्ति की सभी विवेचनाओं होनी अर्थात् —

(1) राज्य के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति की 'समन्व' करना और हार्जर करना तथा शास्त्र पर उसकी विरोध करना,

(2) किसी देशान्तर को प्राप्त करने और पेश करने की अपेक्षा करना,

(3) एक सात पर शास्त्र ग्रहण करना,

(4) किसी क्षेत्रों के यात्राओं से किसी लोक अधिकार या उसकी प्रतिलिपि की अप्रभृत करना,

(5) साक्षात्कारों और देशान्तरों के परिसरों के लिये कमीशन निकालना।

2.13 अनुसूचित क्षेत्रों में कार्यरत शासकीय कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाओं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के उत्तरार्ध तथा योग्य शासकीय सेवकों की पदस्थापना भूमिका चार्ज करने के लिए राज्य शासन द्वारा सुविधाओं प्रदान की गई है —

(1) मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के आदेश कार्यक्रम का/वी-11/3/83/वन-2/4 भाषात दिनांक 25.01.86 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थापन करने की सुविधाओं एवं क्षेत्रूित्ति करता दिया जा रहा है। विशेष विशेष विषय द्वारा दी जाती है कर्त्तव्य, पदविशेष — वर्ष 19 पर दी गई है।

(2) अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ शासकीय कर्मचारियों के दो बच्चों को मेन्ट्रिकल रूप से आदिवासी छात्राओं/आदेशों में रहने तथा आदिवासी विद्यालयों के समान शिक्षा उपलब्ध करे की सुविधा दी गई है।

राज्य शासन द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के लिए नियुक्ति, पदस्थापना, पदोन्नति तथा शासनकार्य के संबंध में लागू की गई शीघ्र विशेषता — पांच पर संलग्न है।
अध्याय-3

मध्य प्रदेश आदिवासी जाति मंत्रणा परिषद्

संविधान की पांचवीं अनुसूची के भाग—ख कंडिका—4 में निहित प्रावधान के अनुसार मध्यप्रदेश आदिवासी जाति मंत्रणा परिषद् का गठन किया गया है। मध्यप्रदेश आदिवासी जाति मंत्रणा परिषद् नियमावली—1957 के अनुसार कार्यशील है। राज्य शासन को अनुसूचित जनजातियों से संबंधित नीतिगत मामलों में सलाह देने तथा प्रदेश के सभी विभागों में संचालित कार्यालयों में अधियोगियों को विशेष अनुशंसा को सामान्यता करने के लिए मध्य प्रदेश आदिवासी जाति मंत्रणा परिषद् का संचालन किया जाता है।
अध्याय—४
संरक्षणात्मक उपाय एवं विशेष व्यवस्थायें

संरक्षणात्मक उपाय

4.1 अत्याचार निवारण

अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा एवं शोषण को रोकने के लिये लागू किये संरक्षणात्मक उपायों का लिये लागू किये संरक्षणात्मक उपायों का विवरण तथा उन्हें प्रभावी बनाने के लिये प्रतिवेदन अवधि में उठाये गये कदम तथा अधिनियम के प्राक्षणों का क्रियान्वयन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम—१९८९ तथा नियम १९९५ के उपरांत न क्रियान्वयन की अवधि निम्नानुसार हैः—

4.1.1 विशेष न्यायालय

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम—१९८९ की धारा—१४ के प्राक्षण एवं अनुसूचित जनजाति के लिये विशेष न्यायालय स्थापित किये गये हैं। शेष ७ जिलों न्यायालय को इन अधिनियमों के तहत सुनवाई रेखा अविषुवित किया गया है।

4.1.2 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संरक्षण कक्ष की स्थापना

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम—१९९५ के नियम—८ ने प्राक्षण एवं अत्याचार नक्सल एवं अत्याचार प्रभुत्व प्रतिवेदन के संबंध में निर्देशन दिया है।
4.1.6 विशेष लोक अभियोजकों के कार्यों की समीक्षा

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार नियम) नियम 1995 के नियम 4 (2) के प्राक्षण अनुसार जिला मजिस्ट्रेट और अभियोजन निदेशक द्वारा एक केंद्रपत्र वर्ष में दो बार, जनवरी तथा जुलाई माह में इस प्रकार विनिर्देश या नियुक्ति विशेष लोक अभियोजकों के कार्यों की समीक्षा की जा रही है।

4.1.7 अन्वेषण अधिकारियों की नियुक्ति

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार नियम) नियम 1995 के नियम 4 (7) के अधीन अपराधों के अन्वेषण हेतु प्रदेश के जिलों में एक उप पुलिस अधीक्षक प्रथम एवम् एक उप पुलिस अधीक्षक द्वितीय अपराधों के अन्वेषण के लिए नियुक्त किये गए हैं।

4.1.8 नोडल अधिकारी की नियुक्ति

प्रदेश शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार नियम) नियम 1995 के नियम 9 के अधीन आदेश क्रमांक 787/1020/05/25/4 दिनांक 08.06.2005 द्वारा साधित, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

नोडल अधिकारी द्वारा दिनांक 5.3.2011, दिनांक 29.6.2011, दिनांक 28.9.2011 एवं 21.12.2011 को सरकार, विधि और निधीय कार्य विभाग, गृह विभाग, पुलिस महानिदेशक (अजाज प्रकोष्ठ) तथा संचालक, लोक अभियोजन के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

4.1.9 विशेष अधिकारियों की नियुक्ति

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार नियम) नियम 1995 के नियम 10 में उल्लेखित प्राधिकरणों के अनुसार एवं संबंधित क्षेत्रों में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष अधिकारियों की नियुक्तियां की गई है।

4.1.10 आकर्षिकता योजना नियम

राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार नियम) नियम 1995 के नियम 45 के अंतर्गत भुगतान आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
प्रथम जिले में जिला सत्रीय सरकार और मॉनीटरिंग समिति का गठन किया गया है।

4.2 सहायता एवं सहायता

4.2.1 अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों एवं आश्रितों को दी गई राहत

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम -1995 के

नियम 11 में पीड़ित व्यक्ति, उनके आश्रित तथा साक्षियों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता,

पौष्णिक व्यवस्था और परिवहन सुविधाएं देने का प्रावधान किया गया है।

नियम 15 में राज्य शासन द्वारा आकस्मिकता योजना बनाकर पीड़ित व्यक्तियों व उनके

परिवारों को राहत एवं पुनर्वास पैकेज देने हेतु नियम बनाने के निर्देश हैं। राज्य शासन द्वारा

अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों एवं आश्रितों को राहत प्रदान करने हेतु म.प. अनुसूचित जाति एवं

अनुसूचित जनजाति (आकस्मिकता योजना) नियम 1995 बनाए गए हैं जो 1 मार्च, 1996 से
4.3 आदिवासियों की भूमि के हस्तान्तरण पर रोक

आदिवासियों की भूमि के हित संरक्षण को विशेष प्राथमिकता के आधार पर गवर्णमेंट भू-राजस्व सहिता 1959 की धारा 170 के अन्तर्गत किसी भी अंतर्गत आदिवासियों को अपासा किये जाने के प्रावधान एवं 170 (ख) के अन्तर्गत आदिवासियों की भूमि के कपटपूर्वक अंतर्गत होने पर वापस किया जाना तथा धारा 147 के अंतर्गत आदिवासियों को प्राप्त भूमि के अनुसार सहित 165-6(एक) के प्रावधानों को आलोचना वर्ष में प्रभावी रूप से अगल में लाए जाने हेतु जिला आधिकारिकों को निर्देश प्रदान किये गये, जिसके परिणामस्वरूप आदिवासियों के भूमि के अवध हस्तान्तरण पर रोक लगी है।

वर्ष 2011-12 में प्रदेश के समस्त जिलों की अनुसूचित जनजाति के सदस्य की ऐसी भूमि का जो कपट द्वारा अपासी की गई थी, के प्रलयावर्तन की स्थिति निम्नानुसार है —

(1) न्यायालयों में दर्ज कुल प्रकरणों की संख्या — 13655 रकबा 9280.933 एकड़
(2) न्यायालय द्वारा निर्णय प्रकरणों की संख्या — 11951 रकबा 8791.095 एकड़
(3) निरस्त (खारिज) प्रकरणों की संख्या — 3858 रकबा 2233.276 एकड़
(4) आदिवासियों के पक्ष में निर्णय प्रकरणों की संख्या — 8093 रकबा 6633.679 एकड़
(5) न्यायालय में लगित प्रकरणों की संख्या — 1704 रकबा 489.838 एकड़
(6) आदिवासियों की कपट वापस दिलायी गयी — 8006 रकबा 6808.614 एकड़

4.4 आवकारी नीति

(1) न्याय शासन द्वारा आदिवासियों के शोषण रोकने तथा उनकी परम्पराओं को जीवित रखने की तृप्ति के लिए समानांतर आवकारी नीति का प्रयोग किया जाएगा।
शासन की अनुमति/स्वीकृति के बिना उसके क्षेत्र में गाड़क पदार्थ के विनियमण की कोई इकाई स्थापित/खोली नहीं जा सकती।

4.6 लघु वनोपज का संग्रहण
लघु वनोपज के आदिवासी संग्राहकों को उनके द्वारा संग्रहित वनोपज का उपयोग यूनियन विभागों के उद्देश्य से मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ की स्थापना वर्ष 1984 में की गयी। वर्ष 1984 से 1988 तक संघ में वर्षों द्वारा सदस्य जिलों में तेंदुपत्ता, सालबीज एवं नोट्टा का संग्रहण एवं जारी किया गया। जून 1988 में राज्य शासन द्वारा लघु वनोपज व्यापार के सहकारीकरण का निर्देश दिया गया जिसे लघु वनोपज संघ ने अनुसार प्रोटोकॉल में वर्ष 1988 तक रखी।
अतिरिक्त 15 प्रतिशत भाग बनों के पुनर्स्थापन पर लगाया जा रहा है तथा शेष राशि उदारक लेनदेनों में समितियों अन्तर्गत ग्राम के गृहस्थ सुविधाओं के विकास पर व्यय कर रही है। इसके अतिरिक्त ग्राम में पेयजल एवं सिंचाई की सुविधाओं का विकास किया जा रहा है तथा गौधार में लघु वनोपज प्रसंस्करण केन्द्रों का निर्माण तथा आयशी उद्यान की स्थापना के कार्य किये जा रहे हैं।

संग्रहण वर्ष 2010 के लिए तैनातों संग्रहों का क्रम: रूपये 33.73 करोड़ एवं रूपये 82.57 करोड़ का प्रश्नान पाराक्रमिक नगद में वितरण किया गया। संग्रहण वर्ष 2011 के लेख अंतिमोत्त कार्य प्रारम्भित है तथा पर्यावरण संग्रहण वर्ष 2011 के युद्ध लाभ एवं तदनुसार प्रश्नान पारम्परिक की पार्श्व की गणना हो रही है।

4.5.2 समूहीकृत सुरक्षा बीमा योजना

संघ द्वारा वर्ष 1991-92 से तैनातों संग्रहों के लिये नियुक्त समूहीकृत सुरक्षा बीमा योजना जीवन बीमा निगम के माध्यम से चलाया जा रही है। इस योजना के अंतर्गत संग्रहों की समान वृद्धि होने पर नामकरण व्यक्ति को रूपये 3500/- की राशि तथा दुबारा एवं आशिक विकलांगता के हिस्से रूपये 12500/ - तथा चूँकि विकलांगता या गृहस्थ की दश रूपये 25000/ - की राशि देने का प्राधिक करता है। इस योजना के अंतर्गत 2.11 लाख वाहेदार को रूपये 8375.99 लाख की बीमा राशि का भुगतान किया गया है।

4.6 मध्यप्रदेश विधिक सहायता के अंतर्गत उपाय

4.6.1 विधिक सेवा (विधिक सहायता/स्वल्प) योजना

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत कार्यस्थल उच्च न्यायालय, विधिक सेवा समितियों जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तहसील विधिक सेवा समितियों द्वारा अन्य वर्गों के पाँच सदस्यों के साथ-साथ अनुसूचित जनजाति वर्ग के गृहस्थ अभ्यास पीड़ित एवं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत पाँच व्यक्तियों को उनकी विधि चार चार दे प्रकरण या उनके द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरणों में नियुक्त एवं स्वास्थ्य विधिक सहायता दी जाती है।

उक्त विधिक सेवा तहसील न्यायालय से लेकर जिला स्तर के सभी न्यायालयों/अधिकरणों/उच्च न्यायालय एवं सरकारी न्यायालय में प्रदान कराई जाती है। वर्ष 2011-12 में अनुसूचित जनजातियों के 11335 व्यक्तियों को योजना अंतर्गत लाभार्थित किया गया है।

4.6.2 औपचारिक योजना

वर्ष 2011-12 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 467113 प्रकरणों का निर्माण किया गया।

4.6.3 विधिक साक्षरता शिक्षण योजना

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता स्कीम 999 तैयार कर गई है, जिसके अनुसार उच्च न्यायालय तहसील स्तर एवं तहसील स्तर पर शाहरुख गृहस्थ विधिक सेवाओं एवं सुदृढ़ प्राचीन अंतर्गत में विधिक साक्षरता सिविल का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविरों में व्यायामशास्त्र, अधिकार, गैर सरकारी स्वर्ण सेवी समुदायों के सुधार अधिकारी, महिलायें, अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग निःशक्त, शिक्षित, विधि शिक्षक विधि छात्र उपचारित रहते हैं। विधिक साक्षरता शिविरों में अन्य वर्गों के साथ-साथ अनुसूचित जनजाति वर्ग के शोषित पीड़ित व्यक्तियों की दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान कर उनकी शिक्षा एवं वैधानिक अधिकारों तथा उनके हित संकटों में काम करने वाले विधिक कानूनी एवं योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें विधिक जानकार बनाने का अवसर है।
या माल के वहन के लिए यातायात सेवा या डाक तार या टेलीफोन सेवा या किसी संस्था के द्वारा जनता को विश्वसनीय प्रकाश या जल का प्रदान या सार्वजनिक पंजीयन बैंक या आदि.
4.7 खास, नागरिक आपूर्ति एवं उपयोगका संरक्षण (सार्वजनिक वितरण प्रणाली)
या संरक्षण आयोजनस्थल नमक का प्रदाय
4.7.1 आयोजनस्थल नमक का प्रदाय
उपर्युक्त लेख के अनुसार पर्युक्त नमक की चयनकृति के लिए
राज्य में विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित परियोजना एवं दिल्ली में मूल रूप से मौजूद व न्यायपालिका कार्यक्रमों में अनुशृवित जनजाति वर्ग को शास-प्रतिपालन सहायता का प्रावधान रखा गया है।

4.9 अनुशृवित क्षेत्रों में कानून व्यवस्था तथा गतिविधियाँ

भारतीय संविधान के अनुसार 46 में लेख है कि राज्य पिछड़े और कमजोर वर्गों की आर्थिक, शैक्षणिक एवं अन्याय व शोषण से रक्षा करेगा। इसी को द्वार रखने ।
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 21(2) 7 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2009 में ऐसे ग्राम/नगर/मोहल्लो/कस्बों को जीवन अपराधों की संख्या के आधार पर चिह्नित किया गया है, जिसमें प्रदेश के 13 जिलों के 35 थानों के अन्तर्गत 38 क्षेत्रों की सूची तैयार कर शासन को पेंडी गई है।

अनुसूचित क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जाकर क्षेत्र में आति व्यवस्था गंभीर होने का मूळ लक्षण है वास्तव में शासन की गति, अधिनियम के अंडर टिम को आतिवाद की जाती है इसी प्रकार आदतन अपराधों के विरुद्ध धारा 110 जाफो. में अध्याय भूषण विवाद में धारा 145 जाफो. के अनुसार जाति/अनुसूचित जनजाति की जाती है।
केंद्रीय सहायता का एक निश्चित अंश अलग से रखा जाना चाहिए, जिसे महिला घड़े के रूप में दर्शाया जाना चाहिए।

10. आदिवासी उपयोजना विशेष केंद्रीय सहायता स्वीकृत करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि योजना आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक परिवेश को ध्यान में रखकर बनाये जिससे सूची उन्हें आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके।

11. इस प्रकार से ली गई योजनाओं के संबंध में भौतिक व वित्तीय लक्ष्य समय-सीमा में निर्धारित किये जाने चाहिए, जिससे उनका सतत गौरवण किया जा सके।

12. आदिवासियों के भौतिक व आर्थिक-सामाजिक विकासों को ध्यान में रखते हुए ऐसे आर्थिक कार्यक्रम लिये जाने चाहिए जो उनके लिए उपयोगी हो व उनकी गरीबी का उन्मूलन कर सके।

13. वनस्पति के विकास के समय वन विभाग के कार्यक्रम जैसे संगठन वन प्रकरण के साथ तालमेल बैठाते हुए आदिवासियों की विशिष्ट समस्याओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाने। इसी तरह से उन्हें याद देने आदिवासियों का ध्यान रखते हुए उनके लिए
र जनता के लाभ करने व र सतत के लिए इसका सहायता करने के लिए ही जानी होना परिवारी सहायता

परियोजना सलाहकार मण्डल द्वारा स्थीरता कार्यों के लिए एजेंसी नियुक्त करने का आवेदन भी परियोजना सलाहकार मण्डल को होगा। पंचायती राज संस्थाओं के साथ ही
शामिल राजनीती एजेंसी/विभाग में माध्यम से कार्य करने का निर्णय लेने के लिए निर्णय होगा।

बिना गरीब आधारित आदिवासी गांवों का विकास-आदिवासी उपयोजना केंद्रीय सहायता

शीत में एस ऐसे उन्मूलन के साथ र किए हैं।

र अनुच्छेद 275(1) केंद्रीय सहायता

शिक्षण के अनुच्छेद 275(1) केंद्रीय सहायता के अंतर्गत वर्ष 2011-12 में भारत राष्ट्र के निर्मित राशि लागू एवं 14015.50 लाख अधिवासियों का विकास हेतु आदिवासी परियोजना के परियोजनाओं/मादा पाकेट/लघु अंक तथा एकलमण्डल आदिवासी परियोजना को राज्य शासन द्वारा आर्द्रित की गई है।

बिना गरीब जनजाति और अन्य परस्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की गायक) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008.

बिना गरीब जनजाति और अन्य परस्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत 13 दिसंबर 2005 के पूर्व से काबिज आदिवासियों को तथा शीती शीतियों से निवासियों अन्य परस्परागत वर्ग के वन निवासियों को वन भूमि पर गरीब वनस्पतियों पर लाभ हेतु पूरे प्रदेश में भागीदारी कर्मचारी की जा सकी है, जो 2012 में 1,660,078 वन निवासियों के वन अधिकारों में लैने का संगठन किया गया है।
जनरल स्टोर, टेंट हाउस, आटा चक्की, डेरी ट्रेक्टर ट्राली, जीप टेक्सल, सूगर पाजन, शेखाबाबा योजना, इंटरनेट, बैंक शाखा, मिनी ट्रक, ईट भट्टा इत्यादि योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाकर हितग्राहियों को लाभार्थित किया गया है। वर्ष 2011-12 में विभिन्न स्कॉर्जार योजनान्तर्गत 425 हितग्राहियों को कुल रुपये 541.32 लाख व्यय किये जाकर लाभार्थित किया गया।

2. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली (NSTFDC) के माध्यम से संचालित आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना -- आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को लाभार्थित करने हेतु आर्थिक सहायता योजना संचालित की गई है। वर्ष 2011-12 में राशि रुपये 203.00 लाख के विरुद्ध 408 आदिवासी महिलाओं को लाभ दिया गया।

3. राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम फरीदाबाद (N.H.F.D.C) के माध्यम से संचालित योजनाएं --

प्रदेश के विकलांग आदिवासियों के कल्याणार्थ विभिन्न स्कॉर्जार योजनाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। गत वर्षों की उपलब्ध राशि से वर्ष 2011-12 में 2 हितग्राहियों को रु. 1.00 लाख व्यय किया जाकर लाभार्थित किया गया।

इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान कुल 833 हितग्राहियों को विभिन्न स्कॉर्जार योजनाओं के अंतर्गत राशि रु. 745.32 लाख उपलब्ध कराये जाकर लाभार्थित किया गया।

5.2 किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग

प्रदेश में कृषि संगणना 2001 के अनुसार कुल कृषक जोतों की संख्या 73.60 लाख है, जिसमें 47.89 लाख (61 दिशित) लघु एवं सीमान्त वर्ग के कृषक हैं। अनुसूचित जनजाति की जोत संख्या 15.04 लाख है, जो कुल जोतों का 20.44 प्रतिशत है। इस वर्ग के कृषक अधिकतम लघु एवं सीमान्त वर्ग में आते हैं। कृषकों के आर्थिक विकास हेतु विभिन्न योजनाओं में अनुदान देय है।

कृषि विभाग के अंतर्गत विभिन्न उद्यानों में कृषि उत्पादक प्रदेश में वर्तमान/उत्पादक को मूल्यांकित करना है। मूल्यांकित उत्पादक प्रमाणित तथा उनमें शामिल श्रेणियों का उपयोग बढाने, पौध संख्या कम करने, कृषि उत्पक्षण आदि आदान कृषकों को
लागत की कृषि तकनीकी चुनने, उसे समझने एवं अपनाने योग्य बनाने के लिये योजनानुसार प्रयास किये जा रहे हैं। राशि रूपमें 15.00 लाख आवंटन के विस्तार 15.00 व्यय कर 18775 कृषक लाभार्थ हुए।

7. बेलगाड़ी पर अनुदान

ग्रामीण परिवेश में कृषि कार्यों को सुगम बनाने एवं गोौंग को संरक्षित करने हेतु किसान पंचायत में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा के परिपालन में वर्ष 2007–08 से किसानों को बेलगाड़ी के कय पर अनुदान देने की योजना की शुरुआत की गई है। इस प्रकार ने विस्तार देने वाले विस्तार किसानों काश स्थापित भ्रमि अधिक नहीं है उनके कृषि
योजनाएँ नैगिक लागू होते हैं। योजना के प्रमुख घटक प्रजनक बीज की खरीदी बीजोपादन, बीजोपचार, कर 18775, बीजोनरजाप, पर अनुदान देय है।

शास्त्री गणना विकास योजना — प्रदेश में गणना उत्पादन एवं उत्पादक को बढ़ावा देना।

सरकारी तथा सरकारी राज्य सरकार 90:10 बिल्डिंग अनुपात में व्यवस्था होता है। योजना प्रदेश करे है, जिलों में किया जा सकता है। योजना सभी श्रेणी के कृषकों की प्रथमीकाला के 2007-08 वर्ष के दौरान राज्य भी जाती है। योजना के घटक, गणना बीज प्रमुण में अनुदान देय है।

गई है। इसके अलावा राजस्थान कृषक अभ्यास घटक में कृषकों को प्रदेश में प्रशिक्षण दिया जाता है।

उस्ते कृषिक अवीि जलग्रहण क्षेत्र विकास प्राप्त योजना: यह केंद्र प्रवर्तित योजना प्रदेश के 44 उनकी आयादान में किया जा है। वर्ष 2001-02 में योजना मैकेनेजमेंट कार्यक्रम में अभिल्प हिस्सा है।
5.3 उद्देश्यका एवं प्रक्रियाओं वालीको

वर्ष 2011–12 में आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत बजट प्रावधान रुपये 3208.35 लाख रुपये 3187.28 लाख आरंभ में से रुपये 3032.74 लाख का ब्याज किया गया। विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी निम्नानुसार हैः

विकास कार्य

5.3.1 फल विकास कार्यक्रम

योजना के तहत राज्य शासन द्वारा गठित समिति की अनुशंसा अनुसार प्रति हैवेट निर्धारित लागत मूल्य का 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। बैंक ऋण पर आम, सन्तरा, नींबू, केला पपीता, अंगूर को सम्बलित किया गया है तथा जो क्षेत्रक को नहीं लेना चाहते, उन्हें विभागीय योजना के तहत आम, अमरूद, आंगरिया आदि सन्तरा, नींबू का समीक्षा करते
<table>
<thead>
<tr>
<th>श्रेणी</th>
<th>विवरण</th>
<th>कुल लागत</th>
<th>प्रथम वर्ष</th>
<th>द्वितीय वर्ष</th>
<th>योग</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>टेबल श्रेणी</td>
<td>लागत प्रति हेक्टर. 25 % अनुदान</td>
<td>₹457620</td>
<td>₹391060</td>
<td>₹60560</td>
<td>₹114405</td>
</tr>
<tr>
<td>वापसी प्रेद्शिय</td>
<td>लागत प्रति हेक्टर. 25 % अनुदान</td>
<td>₹540420</td>
<td>₹483800</td>
<td>₹56560</td>
<td>₹540420</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>वर्ष</th>
<th>भौतिक</th>
<th>वित्तीय</th>
<th>लागान्निवित परिवार</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2011-12</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>1.10</td>
</tr>
</tbody>
</table>
5.3.6 मसाला क्षेत्र विस्तार योजना

प्रदेश में मसाला क्षेत्र विस्तार की नवीन योजना अंतर्गत सभी वर्ष के कृषकों के लिये उन्नत/रांकर मसाला फसल के क्षेत्र विस्तार के लिये आदान सामग्री का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 12500/- प्रति हैंडर तथा कंदवाली फसल जैसे-- हल्दी, अदरक, लहसुन के लिये आदान सामग्री का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 25000/- अनुदान दिये जाने का प्रावधन किया गया है। योजना में एक कृषक को 0.25 हैंडर से लेकर 2 हैंडर तक का लाभ दिया जा सकता है।

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.</th>
<th>वर्ष</th>
<th>भौतिक</th>
<th>विलीन</th>
<th>लाभान्वित परिवार</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>2011–12</td>
<td>1329.60</td>
<td>1158.03</td>
<td>202.17</td>
</tr>
</tbody>
</table>

5.3.7 प्रदर्शन/मिनीकिट की योजना

सभी उद्यानिकी फसलों के प्रदर्शन/मिनीकिट की नवीन योजनान्तर्गत आगामी तीन वर्षों में किये जाने की सम्भावना है।
के लिये केवल गैला प्रदर्शनी एवं प्रचार प्रसार प्रतिशत निश्चित ब्लॉक शाख पर फल, फूल एवं सब्जी आदि की प्रदर्शनी एवं सेमिनार, लहसुन निकालने के लिये कर्मचारियों को नयीन तकनीकी विकास के कार्यक्रम प्रदर्शित किये जाते हैं। वर्ष 2011-12 में लख नियुक्त का मूल्य 80.81 लाख का वातावरण है।

<table>
<thead>
<tr>
<th>वर्ष</th>
<th>भौतिक</th>
<th>वित्तीय</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>लक्ष्य</td>
<td>पूर्ति</td>
</tr>
<tr>
<td>2011-12</td>
<td>67</td>
<td>61</td>
</tr>
</tbody>
</table>

उक्त कार्यक्रम का विश्लेषण
बड़े कृषकों को निर्धारित इकाई लागत का 70 प्रतिशत अनुदान देय है। जिसमे केंद्रशासन का 40 प्रतिशत एवं राज्यशासन राशि का 30 प्रतिशत भाग है। शेष 30 प्रतिशत भाग का व्यय कृषक का स्वयं होना होगा।

यह योजना प्रदेश की सभी जिलों में लागू होगी। उद्यानिकी भिंतन के अंतर्गत चयनित जिलों एवं फसलों को प्राथमिकता दी जायेगी।

योजनांतर्गत वर्ष 11–12 में 51234 हेक्टर में डिप/दिप्रेंडर संयंत्रों की स्थापना की गई तथा रूपये 18593.22 लाख का व्यय मार्च 12 तक किया गया।

(3) म.प्र.राज्य आयुक्तीय पौध भिंतन

1. प्रदेश में आयुक्तीय पौधों की खेती, प्रोसेसिंग, सज्जारण और विक्षण के लिये भारत सरकार, स्थापथ एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष विभाग द्वारा नेशनल भिंतन ओन मेडिकल फ्लैंट का गठन किया। जिसके प्राधान्य के अंतर्गत राज्य शासन का वर्ष 2008–09 में म.प्र. राज्य आयुक्तीय पौध भिंतन के गठन की अभिसूचना जारी की। वर्ष 2009–10 से गतिविधियों प्रारंभ की गई।

2. वर्ष 2011-12 में भारत सरकार को प्रस्तुत कार्ययोजना राशि रु. 461.204 की राशि अनुमोदित हुई जिसके विनियम कुल व्यय राशि रूपये 412.87 लाख हुआ।

5.4 पशुपालन

1. विभिन्न व्यक्ति मूलक कार्यक्रम के तहत 4531 हिट्राइडियों को लामाटिक किया गया।
2. 1770 बकरों के प्रदाय हेतु अनुदान दिया गया।
3. 254 सूकर जातियों के प्रदाय हेतु अनुदान दिया गया।
4. विशेष पूजन प्रजनन कार्यक्रम के तहत 571 संकर जर्जरी देशी उन्नत माता कल्लों के भरण प्रयोग हेतु स्थानीय गर्म औषधियों के लिये हिट्राइडियों को अनुदान दिया गया।
योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण तालाबों की उत्पादकता में वृद्धि कर तथ्य उत्पादन बढ़ाना है। वर्ष 2011-12 में आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत प्राप्तिरिक राशि रूपये 16.94 लाख के विरुद्ध रूपये 10.23 लाख व्यय कर 625 हेक्टेयर जलशेत्र धन पर अनुशीलित जनजाति धित्राहितों को उपलब्ध कराया गया।

5.5.7 तत्व जीवियों का वैयक्तिक दुर्घटना बीमा (केंद्र प्रवर्तित योजना)

राष्ट्रीय गत्यजीवि सहकारी संघ गठित, नई दिल्ली के माध्यम से राज्य के सक्रिय खानों को विशेषक दुर्घटना बीमा योजना से नामांकित विना जाता है। योजना के अन्तर्गत
दन ग्रहण के लिए मशहूर सहकारिता एवं रजीक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश के आदेश कमांड
प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंध संकल्प अनुसार वनों के आसपास रहने वाले ग्रामीणों की वन सुरक्षा एवं विकास कार्य में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये संयुक्त वन प्रबंध की वन समितियों गठित की गई हैं, जिसमें सभी मतदाताओं को सदस्य रूप से रखा गया है। विभाग की सभी गतिविधियों के सम्पादन में वन समितियों के माध्यम से ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी है।
राजस्थान जर्जी गांव स्वरोज़गार योजना
सरकार जर्जी गांव स्वरोज़गार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 में 34159 अनुसूचित परिवारों/हितग्राहियों को लाभार्थी करते हुए रुपये 13394.73 लाख की राशि ऋण की आदेश रक्षा के रूप में उपलब्ध कराते हुये विभिन्न आय मूलक गतिविधियाँ -जैसे घरों की बस्तियाँ, मोटियों की माला, गुंड़िया निर्माण, ईट भट्टा, भैंस पालन, मुर्गी पालन इत्यादि का अनुपालन किया गया है।

वर्तमान समय में सराहनीय गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन समिति के अन्तर्गत राजस्थान ग्रांथी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन समिति के अन्तर्गत
3. प्रदेश के सभी जिलों में वित्तीय वर्ष 2011-12 का कुल प्रारंभिक शेष ₹. 190039.00 लाख है । वित्तीय वर्ष 2011-12 में ₹. 352028.00 लाख का व्यय किया गया है ।

1. योजना में सम्मिलित हितग्राही मूलक योजनायें

1. कपिलधारा — गरीबी रेखा से नीचे के अनुसूचित जनजाति हितग्राही इंदिरा आवास योजना के हितग्राही, शीघ्रायल हितग्राही, लक्ष्य कृषक, सीमान्त कृषक की भूमि में कृष्ण के निर्माण सुविधा।

2. नन्दन फलोधान — गरीबी रेखा से नीचे के अनुसूचित जनजाति हितग्राही इंदिरा आवास योजना के हितग्राही की भूमि में उद्यान सुविधा।

3. भूमि शिल्प — गरीबी रेखा से नीचे के अनुसूचित जनजाति हितग्राही इंदिरा आवास योजना के हितग्राही की भूमि में मेठ के सुविधा।

निर्देश नविनकर
हितग्राही के ग्रीष्मकालीन शीट के समीप काम से काम
वर्ष 2011–12 में व्यविगत स्वच्छ शौचालय (सीपीएल) में से अनुमोदित जनजाति के लिये 128758 का निर्माण किया गया। राशि रुपये 2857.57 लाख व्यय की गई।

5.8.8 बैंकवर्ड रीजेन ग्रान्ट फण्ड योजना

भारत शासन से प्राप्त संस्थान राशि जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत /नगरीय निकाय/एसआईआरडी जबलपुर को उनके अनुमोदित प्रोजेक्ट के अनुरूप सीधे रेपीड टेलीग्राफिक ट्रस्फर के माध्यम से उनके खातों में हस्तांतरित की गई है।

योजना अन्तर्गत शामिल 29 जिलों के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में एक आवासीय अनुमोदित जाति /जनजाति को “अपना घर” के लिये राशि रुपये 25000/- सीधे ग्राम पंचायतों के खातों में हस्तांतरित की गई। वर्ष 2008–09 में यह राशि रुपये 35000/- प्रति
अनुसूचित जनजाति बाहुल्य परिवार वाले ग्रामों में प्रथम रक्षाहार्या समूह का
प्रतिच्छेदित जनजाति की महिलाओ से गठित किया गया है, कुल प्रतिच्छेद 4450 ग्रामों में
8 पंचायतों के 360 ग्रामों में प्रथम रक्षाहार्या समूह अनुसूचित जनजाति का गठित किया गया है।
रूप शीर्षक 25 प्रतिशत रक्षाहार्या समूहों में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं अध्यक्ष
नियुक्त की गई है। 60 प्रतिशत से अधिक ग्राम उपचार समितियों में अनुसूचित जनजाति की
आवासीय कार्यकारिणी समिति में नामाकरण की गई है पदाधिकारियों के रूप में कार्य कर रही
सीधे शासन अनुसूचित जनजाति की 275 समूहों (27 प्रतिशत) के लिये आर्जीविका ग्रांट सहित कुल राशि हेतु
1/- प्रति प्राप्त की। 100,00 लाख (28 प्रतिशत) की राशि का निवेश किया गया।

भागान्ध भोजन कार्यक्रम
भागान्ध भोजन कार्यक्रम का अनेकों मिला तथा टीएस बो"
अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के विश्वासित परिवारों की सहायता राशि, पूर्ण बसाहू हुई कार किया गया है।

(1) मान परियोजना

परियोजना के पूर्ण जल स्तर (FRL) 297.65 मीटर पर 17 ग्राम आंशिक रूप से प्रभावित होने, इन प्रभावित ग्रामों की कुल 1111.30 हेक्टेयर भूमि जलागत होती है, जिसमें 725.50 हेक्टेयर निजी भूमि, 381.407 हेक्टेयर राजस्व भूमि एवं 4.393 हेक्टेयर वन भूमि है। संबंधितों को नियमानुसार मुआवजा भुगतान किया जा चुका है। विश्वासित, हेतु 1200.00 लाख का विशेष पैकेज स्पष्ट किया गया था।
निर्माण कार्य लागत ₹ 17800.00 लाख के टर्न की निर्माण के अन्तर्गत प्रगति पर है। फेज-1 के अधिकांश कार्य प्रगति पर होकर जून 2012 तक पूर्ण किये जाना प्रस्तावित है। फेज-II के निर्माण कार्य पूर्ण होने पर खण्डवा, बड़वाह एवं कसराबद तहसीलों की 24000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई जल लोकसेवा हो सकेगी।

फेज-II कार्यों में दायी तट मुख्य नहर आर.डी. 9.775 कि.मी. से 68.92 कि.मी. (काराम नदी तट) हिस्ट्रीवूशन नेटवर्क सहित निर्माण कार्य लागत ₹ 19300.00 लाख के टर्न की निर्माण के अन्तर्गत प्रगति पर है। यह कार्य जून 2011 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है तथा फेज-II के निर्माण कार्य पूर्ण होने पर बड़वाह एवं महेशवर तहसीलों के 19578 हेक्टेयर क्षेत्र में
प्रदाय किया जाता है। वर्ष 2011–12 में राशि ₹ 360.00 लाख के प्रावधान के विरुध्दियों
वर्ष 2011-12 में संचालित योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है।

वर्ष 2014-15 में अभिमानी उद्योग के अंतर्गत अन्य योजनाओं का उपयोग किया जा रहा है।
4.10. स्थानीय एवं ग्रामोद्योग

बोर्ड द्वारा आदिवासी हितग्राहियों को खादी तथा ग्रामोद्योगों की विभिन्न गतिविधियों में

सहायता प्रदान करने वाले विभिन्न वैज्ञानिक विभागों और प्रशिक्षण केन्द्रों के साथ सहयोग बनाए है। इसका उद्देश्य

है कि आदिवासी लोगों को उन गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति प्रदान किया जा सके और उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त करने का मौका मिले।
5.17 रेशम विकास

वर्ष 2011-12 में आदेशानुसार उपभोक्तामंत्रित्व रक्षा अग्रणी 87.8% तक हुआ सफलता।
वर्ष 2011-12 में आदिवासी उपयोजना अंतर्गत संचालित योजनाओं की भौतिक लघुलक्ष प्रमाणीकार है:-
5.19 आदिवासी विकास
आदिव जाति कल्याण विभाग का मुख्य दायित्व सहितान की पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आते जाति आदिवासी वापसी प्रोग्राम विभाग में विवरणक आदिवासी समाज का विकास का कार्यरत प्रसंग है।
<table>
<thead>
<tr>
<th>कक्षा</th>
<th>बालक</th>
<th>बालिका</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 से 5</td>
<td>150/- (केवल विशेष पिछड़ी जनजाति के बालकों के लिए)</td>
<td>150/-</td>
</tr>
<tr>
<td>6 से 8</td>
<td>200/-</td>
<td>300/-</td>
</tr>
<tr>
<td>9 से 10</td>
<td>600/-</td>
<td>800/-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
यह योजना मेट्रिकोलर स्तर के उन छात्रों के लिए है, जिन्हें पोस्ट मेट्रिक छात्रवासों में आवास के कारण प्रवेश नहीं मिल पाता है, उन छात्रों को योजना का लाभ दिया जाता है। योजना में किसी के मकान का बिक्री, खाद्य तथा विद्यालय का शुल्क तथा छात्रवासी दर पर मेट्रिकोलर छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। वर्ष 2011-12 में सात सप्ताह 124.02 लाख का व्यय की गई थी। 11010 छात्रों को लाभार्थी घोषित किया गया है।
13. राजी दुर्गावती एवं शंकर शाह पुरस्कार योजना

- मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में प्रदेश में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय रैंक प्राप्त करने वाले आदिवासी छात्रों को निम्नानुसार राशि से पुरस्कृत किया जाता है:—

<table>
<thead>
<tr>
<th>कक्षा</th>
<th>प्रथम</th>
<th>द्वितीय</th>
<th>तृतीय</th>
</tr>
</thead>
</table>

प्रविश्नण सह उत्चादन केंद्र :—

कम पढ़े लिखे अनुसूचित जनजाति के युवाओं के लिए 09 विभागीय प्रविश्नण सह
उत्चादन केंद्र (प्रविश्नण सह) चालू किये जा रहे हैं। ये केंद्र निम्नलिखित विषयों के लिए उपयोगी हैं:

1. सामाजिक सहायता
2. आरोग्य सेवा
3. शिक्षा सम्बन्धी सलाह
4. आवास समस्या
5. मलातील वित्तीय समस्याएं

ये केंद्र उन युवाओं के लिए उपयोगी हैं जो अनुसूचित जनजाति के वर्ग में आते हैं और उनके सिद्धांत निरूपण के लिए तैयार हैं।
20. अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास योजना

अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजाति बाहुल्य गांवों/बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं उपलब्ध कराना यथा- समस्तिक पेयजल,विषुल्ल प्लेटफॉर्म, आंतरिक शाखा में पक्षी सड़क नाली निर्माण मुख्य सड़क से अनुसूचित जनजाति बस्ती-ग्राम तक सड़क पुलिया रटो निर्माण सामुदायिक भवनों का निर्माण ( सामाजिक एवं सांस्कृतिक समारोह आदि के लिए ) आदि।

इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति बस्तियों का विकास गंधी बस्तियों में पर्यावरण सुधार स्थानीय निकायों के माध्यम से कराहला जाना। वर्ष 2011-12 में रक्षा रुपये 2529.84 लाख के विस्तृत राशि रुपये 2509.88 लाख का व्यय कर 480 कार्य किये गये।

21. छात्रशॉट योजना – यह योजना मैट्रिक्स क्लास स्तर के उन छात्रों के लिए है, जिन्हें पोस्टमैट्रिक्स छात्रवृत्ति में रघुनाथ के कारण प्रवेश नहीं मिल पाता है। योजना में मकान का
2011-12 में निम्नलिखित प्रतिवेदनों का प्रकाशन किया गया।

1. व्यवस्थापक समिति तथा अधिवेशन दिनों का प्रकाशन।
   2. आदिवासी जनजाति के लिए अत्याचार नियामक अधिनियम एवं नियम संबंधी व्यवस्था।
   3. आदिवासी पंचायत सदस्यों के लिए अत्याचार नियामक अधिनियम एवं नियम संबंधी पुस्तक।
   4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछले वर्ष के उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण-पत्र जारी किये जाने संबंधी प्रकिया एवं प्रकाशन पुस्तक का गुरुवार।

शासकण्ड: गोंडी हिंदी संपादकों द्वारा प्रकाशित।

नवन्मान: प्रशिक्षण में प्रशिक्षणाधीनों को देने हेतु रफ पैड का मुद्रण।

वाचन: अत्याचार नियामक नियम संबंधी पुस्तक का मुद्रण।

कृति: बैगा जनजाति के क्षेत्रों में किये गये अध्ययनवाहन के निर्माण कार्यों का सूचनांक।
8. दिनांक 16 से 25 दिसम्बर 2011 में 10 दिवसीय जनजातीय छात्र-छात्राओं को पारंपरिक नृत्य प्रशिक्षण कार्यशाला।
ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन हेतु गाँव की बेटी योजना को लाभ प्राप्त किया गया है। विकास के लिए छात्रों को दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं जैसे गाँव की बेटी योजना अन्तर्गत रूपमें 140.00 लाख की राशि आवश्यक थी। प्रतिभा किरण आयुक्त प्रधान अधीन वर्ष 2014-15 में दिये गये 12.00 लाख की राशि में प्राप्त हुई।
6.2.3.4 सोमवारो-नुकील व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना —

ऐसे युवा, जो आर्थिक परिस्थितियों या अन्य कारणों से आठवीं, दसवीं एवं बाहरवीं के शिक्षा लेने के अवसर प्राप्त नहीं कर पाते हैं तथा इस क्षेत्र में काम करने के लिए
5.25.3 दीनदयाल चलित अर्पणाल योजना

योजना 26 मई 2006 से लागू की गई है। प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य एवं स्वास्थ्य सुधार से पिछड़े विकास खण्डों में लागू है। वर्तमान में कुल 123 आदिवासी र गिरदंगे विकास खण्डों में योजना संचालित है। योजना अन्तर्गत प्रत्येक इकाई द्वारा प्रतिदिन लगभग 85 शेखरों का उपचार किया जा रहा है तथा प्रतिमाह 300 गर्भवती महिलाओं की जांच की जा रही है। माह मार्च 2011 तक 5.95 लाख मरीजों का उपचार किया गया।

5.26 भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी

प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न वर्गों के विभिन्न रोगों से पीड़ित लोगों के लिए 12 चिकित्सालयों (मोडल होस्पिटल) कार्य करते हैं।
12 में आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र हेतु रुपये 8446.59 लाख आवंटन के लिए रुपये 8275.25 लाख व्यय किया गया।

14 महिला एवं बाल विकास

विभाग द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के संबंध में विकास के लिए योजनाएँ प्रणिपात की जाती हैं, जिससे गरीब तबके की महिलाओं एवं बच्चों का लाभ प्राप्त होता है। विभाग द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के लिए संचालित योजनाएँ स्वीकार एवं कार्यरत हैं।

17 समक्ष बाल विकास सेवा योजना (आई.सी.डी.एस.)

समक्ष बाल विकास सेवा योजना, महिला एवं बाल विकास विभाग की अत्यन्त स्वीकृत एवं कार्यरत है। योजना का उद्देश्य 6 वर्ष तक के आय के बच्चों के समक्ष विकास।
4. प्रौढ़ोगिकी प्राथमिकता क्षेत्रों की पहचान तथा क्षेत्रीय प्रयोगों द्वारा उन्हें मान्य करें, शोध एवं विकास कार्य, प्रदर्शन इकाई स्थापित करना आदि है।
राष्ट्रपति उपयोजना अंतर्गत वर्ष 2011-12 निम्नलिखित योजनाएं संचालित की गईं हैं।
(रुपये लाख में)

| कोष | वर्ष 2011-12 |
शहीद समर शहीद - जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराओं और विविधताओं से जनमानस को निर्माण करने के उद्देश्य से जनजाति नृत्यों पर एकाधिक राष्ट्रीय समारोह सम्मान का जनजातीय रूप में आयोजन किया जा रहा है।

ख में - आदिवासी संग्रहालय के लिये शिल्पों का संकलन/प्रदर्शनी - आदिवासी जनजातीय नृत्य क्षेत्र में संग्रहालय के अन्दर कला लेखकों व आदिवासी सम्मान के लिये आदिवासी शिल्पों का संकलन किया जा रहा है।
प्रकाशित किये गये हैं विदीर्ण वर्ण में भारत का जनसंख्या का प्रतिनिधित्व का संरक्षण एवं उत्पादकी
अध्याय-6

विशेष पिछड़ी जनजाति समूह का विकास

मध्यप्रदेश में कुल 43 अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं, जिनमें से सहरिया, बैगा और भारिया कुल 03 अनुसूचित जनजातियां विशेष पिछड़ी जनजाति समूह में शामिल हैं। यह जनजातियां आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक और ऐतिहासिक क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण रूप से विकसित रही हैं।
अध्याय 7

निष्कर्ष एवं सुझाव

संविधान की पांचवी अनुसूची में की गई व्यवस्था अनुसार प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र में निवासित जनजातियों के सर्वार्थ सिक्कार हेतु पांचवी पंचवर्षीय योजनाकाल से आदिवासी उपयोजन की रणनीति अपनाई गई है। प्रदेश में
विभाग के क्षेत्र में शासन का उद्देश्य मात्र शिक्षण संस्थाओं को खोलना नहीं होना चाहिए।
वर्ष 2011-12 में अनुसूचित क्षेत्रों/आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों का विकास रिजीक्षण किया गया है। एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना राज्य पर परियोजना सलाहकार मण्डल का गठन किया गया है, उसमें जन प्रतिनिधियों की मान्यता सुनिश्चित की गई है। परियोजना राज्य पर आयोजना, अनुमोदन योजना का अनुमोदन/स्वीकृति रूप से 20.00 लाख तक राशि के अधिकार परियोजना सलाहकार मण्डल को प्रदत्त है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि योजनायें आदिवासियों एवं आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अनुरूप हो, जिसका सीधा लाभ अनुसूचित जनजातियों को पहुँचे।
विशेष पिछड़ी जनजाति समूह अभिकरण का पुनर्गठन एवं सुधारकरण किया गया है।
2. इन्दिरा गाँधी जनजाति समूह के लिए आधारभूत सुविधायें चिन्हित क्षेत्रों में ही बाधाएं पर नियंत्रण किए जाने की संभावना है।
एडित्रासी उपयोजना क्षेत्राच्या रंगासाठी संचालित एकीकृत एडित्रासी विकास परियोजना, माझा पाकेट एवं लघु अंचल की जानकारी
विशेष मत्ता

अनुष्ठाव क्षेत्रों में पदरथ कर्मचारियों/अधिकारियों को निम्न दरों पर विशेष मत्ता दिया है—

अ. क्षेत्र वर्ग—1 के सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए मूल वेतन का 15 प्रतिशत

ब. क्षेत्र वर्ग—2 के विकासवाणिज्य के लिए मूल वेतन का 10 प्रतिशत
यदि किसी क्षेत्र विशेष या परियोजना विशेष अथवा विभाग विशेष में किसी अन्य प्रकार का मतलब
विकासक्रमों का क्षेत्रियात्मक वर्गीकरण संशोधित किया जा सकेगा। साथ ही विकासखण्डों के पुनःवर्गीकरण के निदान-निदान CONTINGENCY, WORK CHARGED SERVICE के कर्मचारियों को भी अन्य निर्धारित वेतनांकों में कार्यरत कर्मचारियों की मात्रा ही विशेष जरूरत तथा आवस्य गृह भंडार देय होगा।

11. सैलबियल विधि का अनुसरण अन्तिम अर्थक्षण तथा अर्थक्षण विशेष व्यवस्था द्वारा की गयी है।
मध्य प्रदेश शासन
बिल्ला विभाग

प्रमाण/एफ.आर.17-01/96/चार-व-9
प्रति,
शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मंडल, धार्मिक,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,

भोपाल, दिनंक 11.3.96
अनुसूचित क्षेत्रों में नियुक्ति, पदस्थापना, पदोन्नति स्थानांतरण की नीति
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल दिनांक 11 जनवरी 1964

प्रति,
शासन के सामर्थ विभाग
आध्यक्ष, राजेश मंडल, म.प्र. राज्यपरिषद,
समस्त आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कर्फ्युट, मध्यप्रदेश

विषय :- अनुसूचित क्षेत्रों में नियुक्ति, पदस्थापना, पदोन्नति तथा स्थानांतरण की नीति।

संलग्न--'ग' में उल्लिखित विभागों के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में नियुक्ति, पदस्थापना, पदोन्नति
तथा स्थानांतरण के संबंध में राज्य शासन द्वारा निर्देशित निर्णय लिये गये हैं:—

1. अराजपत्र पदों पर नियुक्तियाँ-जिन पदों में नियुक्तियाँ जिला स्तर अथवा संगठन स्तर पर की जाती
है उन पदों में नियुक्त किये जाने वाले उभीदिवारों से संबंधित जिले या संगठन के सामान्य क्षेत्र में तभी
पदस्थ किया जाय जबकि, जिले/संगठन के अनुसूचित (अर्थात उपयोजया) क्षेत्र में कोई भी पद नियुक्त न
हो।
(2) अनुषुलित क्षेत्र में संबंधित पद कहीं भी रिक्त नहीं होने की स्थिति में या पटकेंद्र होने की जरूरि है।
(4) नियुक्तियां ऐसे पदों पर की जा रही हों जिनके संकेत में इन निर्देशों का पालन नहीं हो सकता। किंतु यदि उल्लेखित नियमों में ऐसे निर्देश को नहीं मिलता, तो इन नियुक्तियों का पालन किया जाएगा।
<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रमांक</th>
<th>जिला</th>
<th>विकासखंड</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>क्रमांक</td>
<td>जिले का नाम</td>
<td>प्रमुख आदिवासी जिले</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>---------</td>
<td>-----------------</td>
</tr>
</tbody>
</table>

इस तаблицे में क्रमांक और जिले का नाम दिये गए हैं।
संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान सदस्य संयोजक होंगे। आवश्यक होने पर सभी किसी विषय विशेषज्ञ को भी बैठक में अमंत्रित कर सकेगी। यह सभीति 6 माह में रिपोर्ट देगी जिस पर आयोग बैठक में चर्चा होगी।

(कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभाग/आदिम जाति कल्याण विभाग)

गृहमण्ड निर्देशक की यह बैठक दिनांक 29 जुलाई 2010 में माननीय सदस्य श्री भगत सिंह नेतामान हो दिये गये सुझावों पर चर्चा।

1) विशेष आमंत्रित माननीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास ने चर्चा में बताया कि लोक निर्माण विभाग में पदोन्नति प्रक्रिया में आश्करण नियमों का उल्लंघन किया गया। गुलग्य अभियंता पद पर 6 रिक्तियों के विभेद 7 आमंत्रित लोगों को पदोन्नत किया गया जब, कि इनमें एक अनुपस्थित जनजाति, एक अनुपस्थित जाति एवं 4 अनास्थित होना चाहिए। यदि योग्य आमंत्रण उपलब्ध नहीं थे तो पद रिक्त रखे जाने थे। पुनः दिनांक 4.12.2010 को इन्हीं रिक्त 6 पदों को लोक निर्माण विभाग ने 8 रिक्तियों बताकर 5 अनास्थित वर्ग के अधिकारियों को पदोन्नत किया। राष्ट्रीय अनुपस्थित होने वाले लोगों का संस्करण कर काम करने में उपयोगी होगा।
उक्त प्रकरण में सांस्कृतिक अध्ययन द्वारा निर्णय लिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये आशकित पदों पर अन्य वर्गों के अधिकारियों की पदोन्नति नहीं की जा सकती। इस संबंध में पूर्व से ही स्पष्ट नियम / निर्देश हैं। सामाजिक प्रशासन विस्तार द्वारा इस संबंध में पदोन्नति के लिये अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के गोरा आदर्श को लेकर है।
प्रमुख सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण किंवा द्वारा अनुग्रह कराया गया कि जाति प्रभाव पत्रों के निर्माण हेतु छानबीन समिति कि बैठक-निर्धार आयोजित कर प्रकरणों का निर्णय किया जा रहा है। समिति के द्वारा 297 प्रकरणों का निर्माण किया जाकर संकलित किम्बड़ों की ओर कार्यवाही हेतु लिखा गया है।

भारतीय मुख्यमंत्री की हाल निर्देशित किए गए हैं।
विन्दु कर्रांक- 3(व) के कर्रांक- 1 में लोक निर्माण विभाग द्वारा, अनुसूचित जनजाति वर्ग "श्री" को पदोन्नति में आर्थिक का लाभ नहीं मिलने के संबंध में प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्देश कि विभाग लाभ दर 10% के लिए कारोबार करे।
यात्रीय वित्त मंत्री जी भारत सरकार के बजट अभिवादन के सुरंगत अलग इलाजों से डाउनलोड कर प्रस्तुत किया जा रहा है जिससे यह ज्ञात होता है कि बी.आर.सी.एफ एक नयी स्थापना प्रस्तावित है जो कि सिविल सोसाइटी के अच्छे कार्यों के विस्तारण का कार्य करेगी।

तथा पाँच दिनों में अब तक 170 हजार लोग ने इस स्थापना को देखा है।
आयातकारी उपयोगकीय-परियोजनावार विशेष क्षेत्रीय सहायता अंतर्गत बिजली एवं मौखिक उपलब्धियों की जानकारी वर्ष 2010-11

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.</th>
<th>आई.टी.डी.पी.</th>
<th>राजस्थान मद</th>
<th>पूर्णिमत मद</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>आयात (लाख में)</td>
<td>व्यय (लाख में)</td>
<td>भौतिक लघु (हितग्राही)</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>जायसिलापुर</td>
<td>527.61</td>
<td>527.61</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>अलीपुर</td>
<td>449.81</td>
<td>449.81</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>धार</td>
<td>227.78</td>
<td>227.78</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>कुष्गी</td>
<td>505.68</td>
<td>505.68</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>दरभोर</td>
<td>415.00</td>
<td>360.07</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>मेहेश्वर</td>
<td>108.92</td>
<td>44.24</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>बड्ढपुर</td>
<td>264.26</td>
<td>242.26</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>सेन्द्रा</td>
<td>308.58</td>
<td>292.98</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>खन्नवा</td>
<td>247.77</td>
<td>240.50</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>नागली</td>
<td>98.51</td>
<td>98.51</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>सेलवाणा</td>
<td>207.03</td>
<td>208.02</td>
</tr>
<tr>
<td>आई.टी.डी.पी.</td>
<td>राजस्थान मद</td>
<td>पुंजीगत मद</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>आबंतन (लाख में)</td>
<td>व्यय (लाख में)</td>
<td>भौतिक लक्ष (हितग्रहण)</td>
</tr>
<tr>
<td>केरला</td>
<td>74.40</td>
<td>51.40</td>
<td>372</td>
</tr>
<tr>
<td>हरियाणा</td>
<td>72.52</td>
<td>72.52</td>
<td>362</td>
</tr>
<tr>
<td>कर्नाटक</td>
<td>133.12</td>
<td>133.12</td>
<td>706</td>
</tr>
</tbody>
</table>

अधिवासी उपयोजना विशेष केन्द्रीय सहायता मद अंतर्गत सितारी एवं भौतिक उपलब्धियों की जानकारी वर्ष 2011-12
<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.</th>
<th>आईडीडी</th>
<th>राज्यवत</th>
<th>भूतियों का गठन (लाख में)</th>
<th>भूतियों लक्ष (हिसाब (लाख में)</th>
<th>भूतियों उपलब्धि (हिसाब (लाख में)</th>
<th>भूतियों लक्ष (राज्यवत)</th>
<th>भूतियों उपलब्धि (राज्यवत)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>23</td>
<td>नाङ्गहिया</td>
<td>213.07</td>
<td>167.40</td>
<td>1066</td>
<td>917</td>
<td>58.04</td>
<td>58.04</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>दिखडोरी</td>
<td>374.84</td>
<td>162.62</td>
<td>1874</td>
<td>979</td>
<td>124.84</td>
<td>124.84</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>देवसर</td>
<td>300.97</td>
<td>161.94</td>
<td>1740</td>
<td>895</td>
<td>90.75</td>
<td>43.75</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>कुर्सी</td>
<td>250.68</td>
<td>184.80</td>
<td>1253</td>
<td>1049</td>
<td>70.29</td>
<td>29.20</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>बैलूल</td>
<td>352.69</td>
<td>135.60</td>
<td>1763</td>
<td>678</td>
<td>100.46</td>
<td>40.81</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>गैंडपड़ी</td>
<td>259.63</td>
<td>117.40</td>
<td>1298</td>
<td>587</td>
<td>87.00</td>
<td>17.40</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>जैसलम</td>
<td>90.83</td>
<td>0.00</td>
<td>454</td>
<td>125</td>
<td>27.30</td>
<td>19.00</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>हरदा</td>
<td>108.32</td>
<td>84.21</td>
<td>542</td>
<td>462</td>
<td>31.03</td>
<td>13.87</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>करहल</td>
<td>214.25</td>
<td>214.25</td>
<td>1069</td>
<td>1069</td>
<td>53.94</td>
<td>53.94</td>
</tr>
</tbody>
</table>

परियोजनावार आर्टिकल 275(1) के तहत विलीन एवं भूतियों उपलब्धियाँ वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 की जानकारी

| क्र. | परियोजना का नाम | वर्ष | आर्टिकल | राज्यवत | भूतियों प्रमाणीकरण क्षेत्र
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>झारखंड</td>
<td>2010-11</td>
<td>562.11</td>
<td>562.11</td>
<td>37</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2011-12</td>
<td>668.48</td>
<td>524.50</td>
<td>39</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>अलीनाराय</td>
<td>2010-11</td>
<td>469.91</td>
<td>217.95</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2011-12</td>
<td>555.68</td>
<td>377.80</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>घाट</td>
<td>2010-11</td>
<td>241.25</td>
<td>241.25</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2011-12</td>
<td>279.40</td>
<td>157.50</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>कुली</td>
<td>2010-11</td>
<td>625.63</td>
<td>497.01</td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2011-12</td>
<td>590.68</td>
<td>480.35</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>खद्दर</td>
<td>2010-11</td>
<td>358.18</td>
<td>386.16</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2011-12</td>
<td>414.60</td>
<td>336.50</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>पाहेसर</td>
<td>2010-11</td>
<td>44.46</td>
<td>44.46</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2011-12</td>
<td>53.54</td>
<td>47.38</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>खदावी</td>
<td>2010-11</td>
<td>31.20</td>
<td>307.44</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2011-12</td>
<td>341.76</td>
<td>300.66</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>साहबानी</td>
<td>2010-11</td>
<td>324.33</td>
<td>308.72</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2011-12</td>
<td>373.99</td>
<td>278.64</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>खरणिया</td>
<td>2010-11</td>
<td>258.82</td>
<td>209.33</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2011-12</td>
<td>326.75</td>
<td>203.30</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>बागली</td>
<td>2010-11</td>
<td>258.82</td>
<td>209.33</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2011-12</td>
<td>326.75</td>
<td>203.30</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>परियोजना का नाम</td>
<td>वर्ष</td>
<td>आवटन</td>
<td>व्यय राशि</td>
<td>मानक प्रमाणि कार्य संख्या</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>-----------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>2010-11</td>
<td>102.12</td>
<td>102.12</td>
<td>09</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2011-12</td>
<td>117.60</td>
<td>85.25</td>
<td>07</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>सैलाना</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2010-11</td>
<td>182.58</td>
<td>182.58</td>
<td>14</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2011-12</td>
<td>247.58</td>
<td>40.50</td>
<td>07</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>गंगा</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2010-11</td>
<td>353.13</td>
<td>351.56</td>
<td>08</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2011-12</td>
<td>437.01</td>
<td>320.04</td>
<td>07</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>निवास</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2010-11</td>
<td>240.85</td>
<td>240.85</td>
<td>07</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2011-12</td>
<td>1245.47</td>
<td>1067.22</td>
<td>16</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>शेतक</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2010-11</td>
<td>157.12</td>
<td>157.12</td>
<td>18</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2011-12</td>
<td>530.07</td>
<td>255.11</td>
<td>05</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>लखनादोन</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2010-11</td>
<td>227.65</td>
<td>227.65</td>
<td>05</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2011-12</td>
<td>796.75</td>
<td>522.94</td>
<td>03</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>कुष्ठिया</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2010-11</td>
<td>48.89</td>
<td>32.46</td>
<td>01</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2011-12</td>
<td>55.38</td>
<td>47.61</td>
<td>03</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>तामिया</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2010-11</td>
<td>331.37</td>
<td>15.39</td>
<td>07</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2011-12</td>
<td>348.45</td>
<td>73.84</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>सौरसर</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2010-11</td>
<td>64.50</td>
<td>58.78</td>
<td>10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2011-12</td>
<td>108.46</td>
<td>86.07</td>
<td>08</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>कुष्ठि</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2010-11</td>
<td>108.67</td>
<td>108.67</td>
<td>03</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2011-12</td>
<td>462.26</td>
<td>122.82</td>
<td>03</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>शहस्त्रत</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2010-11</td>
<td>392.83</td>
<td>350.70</td>
<td>10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2011-12</td>
<td>437.30</td>
<td>367.43</td>
<td>08</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>जायसिंहगढ़</td>
<td>122</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2010-11</td>
<td>71.14</td>
<td>71.14</td>
<td>08</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2011-12</td>
<td>79.78</td>
<td>68.31</td>
<td>16</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>पुष्पराजगढ़</td>
<td>48</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2010-11</td>
<td>47.98</td>
<td>47.98</td>
<td>34</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2011-12</td>
<td>147.69</td>
<td>147.69</td>
<td>32</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>वांचालगढ़</td>
<td>32</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2010-11</td>
<td>114.39</td>
<td>114.39</td>
<td>04</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2011-12</td>
<td>264.37</td>
<td>166.60</td>
<td>08</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>हिंदौरी</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2010-11</td>
<td>225.00</td>
<td>79.82</td>
<td>06</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2011-12</td>
<td>268.06</td>
<td>434.89</td>
<td>19</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>वेठसर</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2010-11</td>
<td>6.41</td>
<td>6.41</td>
<td>02</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2011-12</td>
<td>168.97</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>कुस्मी</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2010-11</td>
<td>156.45</td>
<td>100.96</td>
<td>08</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2011-12</td>
<td>162.33</td>
<td>142.94</td>
<td>18</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>फ़लक</td>
<td>परियोजना का नाम</td>
<td>वर्ष</td>
<td>आयटन</td>
<td>व्यय राशि</td>
<td>भौतिक प्रगति कार्य राशि</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>----------------</td>
<td>------</td>
<td>--------</td>
<td>------------</td>
<td>-------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>नैतुल</td>
<td>2010-11</td>
<td>224.55</td>
<td>171.69</td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2011-12</td>
<td>270.14</td>
<td>269.55</td>
<td>55</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>गैंसदेही</td>
<td>2010-11</td>
<td>183.75</td>
<td>130.85</td>
<td>39</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2011-12</td>
<td>212.17</td>
<td>277.74</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>ठेमला</td>
<td>2010-11</td>
<td>65.68</td>
<td>65.00</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2011-12</td>
<td>87.45</td>
<td>70.00</td>
<td>06</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>हरदा</td>
<td>2010-11</td>
<td>72.12</td>
<td>72.08</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2011-12</td>
<td>81.33</td>
<td>41.29</td>
<td>06</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>कराहल</td>
<td>2010-11</td>
<td>117.61</td>
<td>117.61</td>
<td>01</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2011-12</td>
<td>74.24</td>
<td>74.24</td>
<td>07</td>
</tr>
<tr>
<td>जिला</td>
<td>लिंग अनुपात</td>
<td>साक्षरता</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td>--------------</td>
<td>-----------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>कुल</td>
<td>ग्रामीण</td>
<td>शहरी</td>
<td>कुल</td>
<td>पुरुष</td>
</tr>
<tr>
<td>अनुपुर</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>अशोकनगर</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>बालाघाट</td>
<td>1050</td>
<td>1053</td>
<td>1019</td>
<td>53.6</td>
<td>66.9</td>
</tr>
<tr>
<td>नड़वानी</td>
<td>982</td>
<td>986</td>
<td>885</td>
<td>28.4</td>
<td>37</td>
</tr>
<tr>
<td>बेदुल</td>
<td>994</td>
<td>997</td>
<td>903</td>
<td>46</td>
<td>58.1</td>
</tr>
<tr>
<td>भिष्म</td>
<td>877</td>
<td>893</td>
<td>870</td>
<td>53.5</td>
<td>67.6</td>
</tr>
<tr>
<td>भोपाल</td>
<td>901</td>
<td>925</td>
<td>892</td>
<td>59</td>
<td>66.7</td>
</tr>
<tr>
<td>पुजारीपुर</td>
<td>919</td>
<td>922</td>
<td>873</td>
<td>29.1</td>
<td>39</td>
</tr>
<tr>
<td>पिल्लियाघाट</td>
<td>989</td>
<td>992</td>
<td>952</td>
<td>48</td>
<td>61.2</td>
</tr>
<tr>
<td>गंगाधर</td>
<td>950</td>
<td>960</td>
<td>943</td>
<td>41.4</td>
<td>54.4</td>
</tr>
<tr>
<td>गोतिया</td>
<td>910</td>
<td>928</td>
<td>824</td>
<td>40.4</td>
<td>50.3</td>
</tr>
<tr>
<td>देवस्रा</td>
<td>955</td>
<td>958</td>
<td>923</td>
<td>32.8</td>
<td>45.5</td>
</tr>
<tr>
<td>धार</td>
<td>981</td>
<td>984</td>
<td>925</td>
<td>36.7</td>
<td>49</td>
</tr>
<tr>
<td>दिल्लीशी</td>
<td>1011</td>
<td>1010</td>
<td>1055</td>
<td>49.3</td>
<td>64.8</td>
</tr>
<tr>
<td>पूर्व रियास</td>
<td>959</td>
<td>961</td>
<td>901</td>
<td>36.2</td>
<td>49.5</td>
</tr>
<tr>
<td>गुर्जा</td>
<td>925</td>
<td>925</td>
<td>916</td>
<td>31.6</td>
<td>44.2</td>
</tr>
<tr>
<td>स्वालिमपुर</td>
<td>912</td>
<td>920</td>
<td>889</td>
<td>36.1</td>
<td>46.3</td>
</tr>
<tr>
<td>हरदा</td>
<td>943</td>
<td>945</td>
<td>886</td>
<td>38.4</td>
<td>51.3</td>
</tr>
<tr>
<td>चोरंगाबाद</td>
<td>932</td>
<td>938</td>
<td>881</td>
<td>47.4</td>
<td>59.5</td>
</tr>
<tr>
<td>दुर्गा</td>
<td>918</td>
<td>945</td>
<td>863</td>
<td>38.4</td>
<td>48.9</td>
</tr>
<tr>
<td>जनकपुर</td>
<td>958</td>
<td>976</td>
<td>892</td>
<td>51.8</td>
<td>65.1</td>
</tr>
<tr>
<td>झापुआ</td>
<td>993</td>
<td>996</td>
<td>906</td>
<td>30.6</td>
<td>41.7</td>
</tr>
<tr>
<td>क्र. नोंद</td>
<td>जिला</td>
<td>लिंग अनुपात कुल</td>
<td>पुरुष</td>
<td>महिला</td>
<td>ग्रामीण</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>------------</td>
<td>------------------</td>
<td>--------</td>
<td>----------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>पन्ना</td>
<td>943</td>
<td>43.2</td>
<td>54.9</td>
<td>30.7</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>राघवेन</td>
<td>932</td>
<td>54.7</td>
<td>65.1</td>
<td>43.4</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>राजगढ़</td>
<td>928</td>
<td>46.7</td>
<td>61.2</td>
<td>30.9</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>रतलाम</td>
<td>975</td>
<td>41.9</td>
<td>55.7</td>
<td>27.7</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>रोहा</td>
<td>924</td>
<td>35.5</td>
<td>47.6</td>
<td>22.3</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>सागर</td>
<td>942</td>
<td>38.7</td>
<td>50.9</td>
<td>25.7</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>संतना</td>
<td>949</td>
<td>37.1</td>
<td>48.9</td>
<td>24.6</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>सीहर</td>
<td>943</td>
<td>43.1</td>
<td>55.2</td>
<td>30.2</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>सिपोली</td>
<td>1016</td>
<td>53.4</td>
<td>67.0</td>
<td>40.1</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>सहदेवल</td>
<td>993</td>
<td>44.6</td>
<td>58.1</td>
<td>31.1</td>
</tr>
</tbody>
</table>